न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया आर.ए.एस.)

प्रकरण (दावा)सं0––294/2023
प्रविष्टि दिनांक ––18.07.2023

उनवान

1. रामकरण पुत्र काना जाति बैरवा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
2. रामेश्वर पुत्र काना जाति बैरवा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
3. लादूराम पुत्र काना जाति बैरवा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
4. गुलाब देवी पत्नी सुखपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
5. नानगी पुत्री काना जाति बैरवा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
6. मनभर पुत्री काना जाति बैरवा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
7. रामकन्या पुत्री सुखपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
8. रामप्यारी पुत्री काना जाति बैरवा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
9. रामबती पुत्री सुखपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
10. रूकमा पुत्री काना जाति बैरवा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक

–वादीगण/आवेदकगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र नेहनू जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई व जिला टोंक
2. अनिता पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई व जिला टोंक
3. धन्नी पत्नी जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई व जिला टोंक
4. मदनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई व जिला टोंक
5. हरि पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई व जिला टोंक
6. तहसीलदार निवाई जिला टोंक जाति बैरवा निवासी भांवता तहसील निवाई व जिला टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री नरेन्द्र कुमार –वकील वादीगण
श्री कौशल किशोर जाट–अभिभाषक प्रतिवादीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (क), राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 बाबत रास्ता प्रदान किये जाने

निर्णय

दिनांक–23.12.2024

अधिवक्ता वादीगण/आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 233/4 रकबा रकबा 2.5799 है0 वाके ग्राम भांवता पटवार हल्का भांवता तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है । भूमि के खातेदार केसर पत्नी काना फोत हो चुकी है इसलिए उन्हे पक्षकार नही बनाया गया। उनके वारिसान जमाबंदी मे खातेदार है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त भूमि मे आने जाने के लिए खसरा नंबर 292/1 मे वर्तमान मे डामर रोड बनी हुई है उस डामर रोड के पश्चिम दिशा मे स्थित खसरा नंबर 198/4 , खसरा नंबर 205 , खसरा नंबर 204/2 वाके ग्राम भांवता मे स्थित भूमि की दक्षिणी मेर के सहारे सहारे स्थित रास्ते सबसे नजदीकी रास्ता है एवं उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की जोत मे जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। लेकिन उक्त रास्ते का इन्द्राज नक्शा शीट मे नही है। इस कारण अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण उक्त भूमि मे आने जाने हेतु डामर रोड जो खसरानंबर 292/1 मे बनी हुई है के पश्चिमी दिशा मे स्थित खसरा नंबर 198/4 , खसरा नंबर 205 , खसरा नंबर 204/2 वाके ग्राम भांवता मे स्थित भूमि की दक्षिणी मेर के सहारे सहारे 20 फिट चौडा रास्ते का इन्द्राज राजस्व शीट मे अंकित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी संवत 2072–2072, जमाबंदी संवत 2079 (वर्ष 2022) से स्थायी आदि प्रस्तुत किये जो शमिल पत्रावली है।

प्रकरण मे तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट ली गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदकगण की खातेदारी की भूमि ख.न. 233/4 हेतु उक्त खातेदारो की जोत मे से होकर नये मार्ग प्रस्ताव के मामले मे पहुचने के वैकल्पिक साधन/रास्ता जो कि राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद नही है एवं मौके पर किसी प्रकार सुचारू रूप से चालू रास्ता नही है साथ ही अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण , गै.मु. चाह , ट्यूबवेल, वृक्ष इत्यादि नही है। आवेदक की अराजी हेतु निकटतम वैकल्पिक मार्ग नजरी नक्शे मे अंकन प्रस्तावित हैं आवेदक द्वारा प्रस्तावित मार्ग का क्षेत्रफल लम्बाई 171 मीटर चौडाई 5 मीटर जो कि 30 फिट अनाधिक नही होकर नजरी नक्शा मे प्रस्तावित हैं डीएलसी दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रतिकर (नियम 70(।।)(9) तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सरकार)नियम संशोधित 2012 के नियम 70(2) के अन्तर्गत प्रस्तावित रास्ते के निर्माण मे संभावित नुकसान नही है। उक्त प्रकरण मे मुताबिक नजरी नक्शा के अनुसार भूमि पर आवागमन हेतु पहुच मार्ग प्रस्तावित है जो निकटतम खातेदार के पास है एवं निकटतम मार्ग डामर रोड है।

प्रकरण मे प्रतिपक्षी सं0 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थीगण ने गलत तथ्य अंकित किय गये हैं। प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि भूमि मे मकान बनाकर निवास करते है और तालाब के रास्ते से आते जाते है। प्रार्थीगण सं0 1 व 2 व 3 तथा प्रार्थी सं0 1 व 2 की मां केसर पत्नी काना तथा नानगा , हजारी प्रभू कैलाश शंकर द्वारा एक सिविल वाद न्यायालय निवाई के समक्ष रास्ते के संबंध मे वाद प्रस्तुत किया गय था जो विचाराधीन है। सिविल न्यायालय मे वाद विचाराधीन रहते हेतु प्रार्थीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार कर मंगवाने का निवेदन किया।

तहसीलदार निवाई से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण ने बताया कि खसरा नंबर 292/3 की दक्षिणी पश्चिमी मेड के मध्य व खसरानंबर 210 की पश्चिमी मेड पर रास्ते स्वरूप मे भूमि खातेदारो द्वारा छोडी हुई है एवं बताया कि खसरा नंबर 211 की दक्षिणी मेड से होकर खसरा नंबर 212/1 गै.मु. चाह के पश्चिम मे होकर खसरा नंबर 232/11 की पश्चिमी व दक्षिणी मेड होते हुए रास्ता दिये जाने बाबत अपने वक्तव्य पर मौके पर बताया। प्रतिवादी द्वारा बताया गया रास्ता खसरा नंबर 233/4 की पहुच मुख्य रास्ते से अधिक दूरी पर स्थित होकर खसरा नंबर 232/1 भराव (कैचमेन्ट) क्षेत्र मे होने से रास्ता उपयुक्त नही है। अतः पूर्व रिपोर्ट दिनांक 6.10.2023 की मौका रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ता निकटतम होने से उपयुक्त है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया।

हमने आवेदन पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रकरण मे तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा अनुसार आवेदकगण की खातेदारी की भूमि ख.न. 233/4 हेतु पहुचने के वैकल्पिक साधन/रास्ता राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद नही है एवं मौके पर किसी प्रकार सुचारू रूप से चालू रास्ता भी नही है साथ ही अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपनी भूमि को काश्त मे रास्ते के अभाव मे मार्ग सुखाचार से वंचित है चूंकि उक्त तथ्य सुखाचार का है और काश्तकार के सुखाचार हेतु राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 'क' मे प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना हो, और यदि मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो तो ऐसी स्थिति मे आवेदक को अन्य खातेदार की भूमि मे अधिकतम 30 फिट का रास्ता दिया जा सकता है। चूंकि प्रकरण मे आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ते को ही तहसीलदार द्वारा निकटतम रास्ता होना बताया है और अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता आवेदक की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 233/4 और मुख्य रास्ते तक पहुच से अधिक दूरी पर स्थित है साथ ही खसरानंबर 232/1 भराव (कैचमेन्ट) क्षेत्र मे होने के कारण उपयुक्त नही

सहायक कलेक्टर

होना अंकित किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता धारा 251 क के निकटतम सिद्धान्त को धारित नही करता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता उक्त धारा के वैकल्पिक, निकटतम व अत्यांतआवश्यक एवं सुखाचार के सिद्धान्त मे निहित है। अतः उक्त अधिनियम के तहत सुखाचार में आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार कर, उसकी भूमि को काश्त करने हेतु रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित है।

आदेश

फलस्वरूप आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर, आवेदकगण को उनकी खातेदारी की भूमि ख.न. 233/4 में आने जाने के लिए खसरा नंबर 292/1 जिसमे वर्तमान मे डामर रोड बनी हुई है , के पश्चिम दिशा मे स्थित खसरा नंबर 198/4 , खसरा नंबर 205 , खसरा नंबर 204/2 वाके ग्राम भांवता की दक्षिणी मेर के सहारे सहारे रास्ता आवेदक की खातेदारी की भूमि ख.न. 233/4 की सीमा तक, 1955 के राजस्थान अधिनियम सं0 3 मे नयी धारा 251–क के अंतर्गत नियमानुसार तहसीलदार निवाई की मौका रिपोर्ट मे अंकित नजरी नक्शे मे प्रस्तावित अनुसार 30 फिट के भीतर रास्ता, आवेदक को नियमानुसार डी.एल.सी. दर से दुगनी राशि वसूल करते हुए दिया जाता है। तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार पालना कर, नियमानुसार कार्यवाही एवं नियमानुसार राशि वसूली कर, आवेदक को रास्ता दिया जाकर, राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा शीट मे अंकन कर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज **दिनांक 23.12.2024** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार सोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (राज.)

प्रमाणित फोटो स्टेट प्रति
रीडर/अहलमद
उपखण्ड अधिकारी, निवाई